

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)

प्रार्थी  
श्रवणसिंह चौहान पुत्र खुशालसिंह  
जाति राजपूत निवासी खिन्दावा  
तहसील बाली

बनाम

अप्रार्थी  
राजस्थान सरकार जरिये  
(भूमिधारी) तहसीलदार बाली

किस्म मुकदमा राजस्व विविध प्रकरण सं. GCMS No. 2025/333

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुये
17 <sup>06</sup> / <sub>25</sub>	<p>वकील प्रार्थी श्री विक्रमसिंह सोलंकी उपस्थित।</p> <p>प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 पेश किया। अप्रार्थी राज पेंरोकार उपस्थित। अप्रार्थी राज पेंरोकार द्वारा पत्थरगढी किये जाने हेतु किसी प्रकार की अनापत्ति पेश नहीं की गई। उपस्थित वकुलाय की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी विवादित भूमि का रिकॉर्डेड खातेदार है और उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करता आ रहा है।</p> <p>अतः प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबंदी करवाना चाहता है। ऐसी सूरत में विवादित भूमि की नेखमबंदी किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।</p> <p>लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम सेवाडी पटवार हल्का सेवाडी तहसील बाली के खसरा नंबर 1447/2 रकबा 0.1700 हैक्टर के चारों तरफ बाद पैमाईश पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार बाली को 1000/- रुपये शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। शुल्क प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। आवश्यकता होने पर तहसीलदार बाली को संबंधित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p>	



3

सहायक कलक्टर एवं पदेन्  
उपखण्ड अधिकारी, बाली  
उपखण्ड अधिकारी, बाली